2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(b) "Council" means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the Act.

3. Association of a person with the Council.—(1) Where the Council is of the opinion that for performing any of its functions, it is necessary to have the assistance or advice of any person having an expert knowledge of the subject matter, the Council may invite such persons to assist the Council as and when necessary.

(2) The person so associated may participate in the deliberations of any of the meetings of Council when asked to do so, but shall not be entitled to vote.

(3) The person associated with the Council under sub-regulation (1) may also be required to assist in any of its Committees, Working Group, etc.

(4) If the person associated with the Council under sub-regulation (1) happens to be a non-official, resident in Delhi, he shall be entitled to get an allowance equal to the Daily Allowance admissible to Grade I officers of the Central Government on tour to Delhi for each day of actual meeting of the Council or its Committee, or Working Group, etc. to which he is so associated.

(5) If such person is a non-resident in Delhi, he shall be entitled to get the Travelling and Daily allowance as per orders issued by the Government of India regarding travelling allowance, etc. to non-official members of Committees, Commissions of enquiry etc. appointed by the Government and incorporated as Government orders under SR 190, as amended from time to time, for meeting of the Council to which he is so associated.

(6) Notwithstanding anything in sub-regulations (4) and (5) if such person is a Government servant or an employee in a Government Undertaking, he shall be entitled to travelling and daily allowance only at the rates admissible under the relevant rules applicable to him.

[No. F. 1-69/88-AICTE]

DR. K. GOPALAN, Education Adviser (T)
Deptt. of Education
Member-Secretary,

नई दिल्ली, 29-12-92

स.का.नि. 40 :—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अध्ययन बोर्डों के अधिवेशनों से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 1992 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 (1987 का 52) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है,

(ङ) "सदस्य" से संबंधित अध्ययन बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है

(च) "सदस्य-सचिव" से संबंधित अध्ययन बोर्ड का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;

3. अधिवेशन:- (1) बोर्ड की बैठकें उतनी बार होंगी जितनी बार वह अपने कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझे किन्तु एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य होंगी।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशन की तारीख समय और स्थान नियत करेगा और अधिवेशनों की कार्य-सूची को मदें अनुमोदित करेगा।

(3) सदस्य, तब के सिवाय जब अध्यक्ष ने लिखित में अनुपस्थिति की मंजूरी दे दी हो, सभी अधिवेशनों में उपस्थित होगा और अधिवेश में रखे गए उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

4. अधिवेशन की सूचना और कार्य-सूची :—(1) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी।

(2) सूचना में अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय वर्णित होगा तथा उसमें संव्यवहार किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) अधिवेशन के कार्य की सामग्री सूचना के साथ या उसके तुरन्त पश्चात् प्रेषित की जाएगी।

(4) ऐसे किसी कारबार पर, जो कार्य-सूची में नहीं है, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले किसी अन्य सदस्य की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाएगा।

5. गणपूर्ति:—(1) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की गणपूर्ति उसके सदस्यों एक-तिहाई संख्या से होगी।

(2) यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापतित्व करने वाला सदस्य, तीस मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् अधिवेशन को उसी दिन के लिए या आगामी दिन या किसी ऐसे अन्य दिन के लिए, जो वह ठीक समझे, स्थगित करेगा और ऐसे स्थगन की सूचना उपस्थित सदस्यों को दी जाएगी और साथ ही परिषद के सूचना पटल पर लगाई जाएगी तथा वह कारबार जो मूल अधिवेशन के समक्ष पूरा किया जाता यदि गणपूर्ति होती, स्थगित अधिवेशन के समक्ष पूरा किया जाएगा और गणपूर्ति न होने की स्थिति में भी निष्पादित किया जा सकेगा।

6. आपात अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष,—

(क) किसी भी समय बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपेक्षित किसी अत्यावश्यक विषय को निपटाने के लिए बोर्ड का आपात अधिवेशन बुला सकेगा;

(ख) यदि वह कम से कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी लिखित अभ्यपेक्ष प्राप्त करता है जिसमें वह प्रयोजन अधिकथित है जिसके लिए सदस्य अधिवेशन बुलाने की वांछा करते हैं तो आपात अधिवेशन बुलाएगा।

(2) बोर्ड के प्रत्येक आपात अधिवेशन की सूचना सभी सदस्यों को अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व अधिवेशन की कार्य-सूची के साथ दी जाएगी।

7. पीठासीन अधिकारी :—(1) जब अध्यक्ष उपस्थित हो, समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा,

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए चुनेंगे,

8. मतदान :—समिति द्वारा निश्चित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विषयों का विनिश्चय उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

9. अधिवेशन का कार्यवृत्त—(1) सदस्य सचिव बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन के तुरन्त पश्चात्, अधिवेशन का कार्यवृत्त तैयार करेगा और उसे यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले अन्य सदस्य के समक्ष उसके अनुमोदन तथा आगे की कारवाई करने के लिए रखेगा। इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए यदि कोई हो, परिचालित किया जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन परिचालित किया गया कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष संपुष्टि के लिए रखा जाएगा और ऐसे उपांतरणों के, यदि कोई हों, अधीन होगा जैसे क्रमशः बोर्ड उनमें करना ठीक समझे तथा इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त पर, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाला सदस्य हस्ताक्षर करेगा और उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा।

[सं. एफ.-1-69/88-एआई सी टी ई]

डा. के. गोपालन, शिक्षा सलाहकार (टी)
सदस्य सचिव, भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद

New Delhi, the 29th December, 1992

G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Procedure relating to meetings of Boards of Studies) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(b) "Board" means a Board of Studies established under sub-section (1) or sub-section (2) of section 13 of the Act, as the case may be;

(c) "Chairman" means the Chairman of the concerned Board of Studies;

(d) "Council" means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the Act;

(e) "Member" means a member of the concerned Board of Studies;

(f) "Member-Secretary" means the Member-Secretary [illegible] Board of Studies;

(2) The Chairman shall fix the date, time and place of the meetings of the Board and approve the items of agenda for the meetings.

(3) A member shall attend all the meetings of the Board, save where a leave of absence has been granted by the Chairman in writing, and shall sign the attendance register kept in the meeting.

4. Notice of meetings and list of business.—(1) A written notice of every meeting of a Board shall be given to its members at least fifteen days before the date fixed for the meeting.

(2) The notice shall state the place, date and time of the meeting and shall specify the business proposed to be transacted thereat.

(3) Agenda material for the meeting shall be dispatched alongwith the notice or immediately thereafter.

(4) No business which is not on the agenda shall be considered at the meeting without the permission of the Chairman or in his absence the other presiding member, as the case may be.

5. Quorum.—(1) At every meeting of a Board, one-third of its members shall form the quorum.

(2) If at any meeting quorum is not present, the Chairman or, in his absence the presiding member shall, after waiting for thirty minutes, adjourn the meeting for such hour on the same day or the following day or some other day as he may think fit and a notice of such adjournment shall be given to the members present and the business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum, shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed off irrespective of the quorum.

6. Emergent meetings.—(1) The Chairman,—

(a) may call an emergent meeting of the Board at any time to deal with any urgent matter requiring its attention;

(b) shall call an emergent meeting if he receives a requisition in writing signed by not less than five members and stating the purpose for which they desire the meeting to be called.

(2) A notice of every emergent meeting of the Board shall be given to all the members at least seven days before the date fixed for the meeting.

7. Presiding Officer.—(1) The Chairman, when present, shall preside over the meeting of a Board;

(2) In the absence of the Chairman, the members present shall elect from amongst themselves a member to preside over the meeting.

(3) The Chairman or in his absence the member elected for the purpose of presiding over the meeting, as the case may be, shall have and exercise the right of a casting vote in all cases of equality of votes.

[illegible] to be decided by a Com-